डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार,
पूसा–848 125 (समस्तीपुर)

का.आ.सं.–FBS&H/265/2006-07:...492.../रा.प्र.के.कृ.वि. पूसा, दिनांक:.......25.वीं, सितम्बर, 2018

कार्यालय आदेश

प्रायः ऐसा पाया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मियों के द्वारा शिशु देखभाल अवकाश हेतु अल्प अवधि में आवेदन समर्पित कर बिना स्वीकृति प्राप्त किये ही प्रस्थान कर जाते हैं जो नियमानुकूल नहीं है।

अतः भविष्य में विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मियों के लिए शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित निर्देश पारित किये जाते हैं:–

1. शिशु देखभाल अवकाश का प्रार्थना पत्र कम–से–कम एक माह पूर्व समर्पित किया जाय।
2. संबंधित कार्यालय उक्त प्रार्थना पत्र पर दो सप्ताह में कार्यवाई सुनिश्चित करेगी।
3. संबंधित अधिष्ठाता/नियंत्रक अधिकारी के स्तर से एक सप्ताह में कार्यवाई पूरी की जायेगी।
4. उपरोक्त कार्यवाई के उपरान्त प्रशासनिक प्रभाग से कार्यवाई पूर्ण करते हुए तीसरे सप्ताह में अवकाश की स्वीकृति/अस्वीकृति का आदेश निर्गत किया जायेगा।
5. कोई भी महिला कर्मी बिना स्वीकृति के शिशु देखभाल अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे।

कुलपति के आदेश से
25/9/2018
निदेशक प्रशासन

ज्ञापांक:......731......./रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा, दिनांक:..........25...वीं, सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि सभी अधिष्ठाता एवं निदेशक/कुलसचिव/नियंत्रक/अधिष्ठाता, तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/अधिष्ठाता, मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली/अधिष्ठाता, उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, ढोली/पिपराकोठी/सभी संस्था के प्रधान/सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयक/सम्पदा पदाधिकारी/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी, केन्द्रीय कर्मशाला/सह निदेशक अनुसंधान/सभी प्रभारी पदाधिकारी, केन्द्र एवं उप केन्द्र/प्रभारी पदाधिकारी, बाह्य परीक्षा एवं मूल्यांकन कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी एरिस सेल, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/2018
निदेशक प्रशासन

कार्बन प्रति–कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।